फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री विक्रम बनाम विपक्षी : श्री बजरंग व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 25/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है बावजुद अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। अत विपक्षी संख्या 1 से 4 का जवाब का अवसर बद किया जाता है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा भी जवाब पेश नहीं किया गया। अत विपक्षी संख्या 5 का जवाब का अवसर बद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा कुंथवास पटवार कुंथवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज की साबिक आराजी न. 1505, 1506, 1507, 1508 कुल किता 4 रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी न. 1634, 1635, 1636, 1637 कुल किता 4 रकबा 0.2700 है बने जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम हिस्से अनुसार अंकित है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर प्रत्येक के 1/4 हिस्सा दर्ज है परन्तु प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त होकर कृषि करते चले आ रहें है। परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजीयात के मुल पुरूष भीमदास थें जिनके दों पुत्र बालकिशन व परसराम हुए भीमदास की मृत्यु के बाद प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात विरासत से बालकिशन व परसराम के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। तत् पश्चात नामान्तकरण संख्या 208 के जरिये प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का सम्पूर्ण हिस्सा टाकु बेवा बालकिशन के नाम पर 1/2 हिस्सा तथा परसराम पिता भीमदास के नाम पर 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। तत् पश्चात टाकुबाई द्वारा वसीयत करने से नामान्तकरण सं. 482 दिनांक 20.12.1978 को लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मीनारायण मुतन्ना बालकिशन के नाम पर अमल दारामद होकर राजस्व गलत रूप से दर्ज हो गया जब कि राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्सा ही मुतक लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मीनारायण मुतन्ना बालकिशन राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहीए था। परन्तु मृतक लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मीनारायण मुतन्ना बालकिशन द्वारा राजस्व अधिकारीयों से मिलकर गलत तरीके विधि विरूद्ध सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम पर दर्ज करवा लिया गया जो प्रार्थीगण के मुकाबले गलत है। क्यों कि प्रार्थी के दादा मृतक परसराम का प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था और प्रार्थीगण के दादा मृतक परसराम है। यह कि विधि अनुसार टांकुबाई बेवा बालकिशन के नाम से प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा ही दर्ज था और मृतक टांकुबाई का 1/2 हिस्सा ही लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मीनारायण मुतन्ना बालकिशन के नाम पर दर्ज होना चाहीये था और मृतक लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मीनारायण के पश्चात विपक्षीगण के नाम पर 1/4 1/4 के बजाय 1/8, 1/8 हिस्सा ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था। मृतक परसराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और प्रार्थीगण मृतक परसराम के वारिसान है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगणों का नाम हिस्से से अधिक भूमि पर केत होने से विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करने पर आमादा है। जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से पाया कि प्रार्थनाग्रस्त साबिक आराजी न. 1505, 1506, 1507, 1508 भूमि जमाबंदी संवत् 2017–20 में खातेदार बालकिशन, परसराम पिता भीमदास वैरागी सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड थी। तत् पश्चात नामान्तकरण संख्या 208 से प्रार्थनाग्रस्त भूमि टांकु बाई वेवा बालकिशन 1/2, परसराम पिता भीमराज 1/2 के नाम दर्ज हुई। तत् पश्चात नामान्तकरण संख्या 482 से टांकु बाई के बजाय लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र बालकिशन के नाम दर्ज हुई। जमाबंदी संवत् 2036–38 में साबिक आराजी न. 1505, 1506, 1507, 1508 भूमि लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त दस्तावेजो से प्रार्थी के इस कथन को बल मिलता है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मौरूस के नाम हिस्से बराबर से दर्ज रेकर्ड थी साथ ही इस कथन को भी बल मिलता है कि नामान्तकरण संख्या 482 से प्रार्थनाग्रस्त भूमि अकेले लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज रेकर्ड हो गई। अन्य बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थीगण का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुंथवास पटवार हल्का कुंथवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 267 की आराजी नम्बर 1634, 1635, 1636, 1637 किता 4 रकबा 0.2700 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:27 IST
Reason: SelfAttested